(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 230 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ / अल्पकालिक शर्तों के आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि की सापेक्ष में पट्टे किराये की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2005 - एनएमपीटी

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ / अल्पकालिक शर्तों के आधार पर आंबटित पट्टे-किराये भू-खण्ड 20 जनवरी 2005 को अंतिमबार इस प्राधिकरण ने संशोधित किया था। 19 फरवरी 2007 तक प्राधिकरण ने पट्टे-किराये को अनुमोदित किया था।

2. दर की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और अंत मे, इसे 31 अक्टूबर 2009 तक विस्तारित किया गया था या प्राधिकरण के ओदश दिनांक 28 जुलाई 2009 के द्वारा प्रस्ताव पर पारित ओदश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमे से जो भी पहले हो।

3. पत्तन के द्वारा प्रस्तुत सूचना सूक्ष्म परीक्षण के अंतर्गत है। प्राधिकरण अंतिम निर्णय देने के पहले मामला को परिपक्व होने मे ं अभी कुछ और समय लगेगा।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण 31 दिसंबर 2009 तक प्रचलित पट्टे-किराये की वैधता को विस्तारित करता है या अनुमोदित होने वाली पट्टे-किराये की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि से इसमे से जो भी पहले हो।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष